प्रेषक,

चन्द्र मणि मिश्र,
अपर जनपद न्यायाधीश चंदौसी,
सम्भल स्थित चंदौसी।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि मेरा लीवर संक्रमित होकर खराब हो गया था, जिसके कारण मुझे अपना लीवर इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में ट्रांसप्लांट कराना पडा। इस निमित मेरे द्वारा अपनी बीमारी व लीवर ट्रांसप्लांट पर दिनांक 02.05.2016 से 08.06.2016 तक करायी गयी चिकित्सा पर 22,84,720/–रूपये व्यय किया गया। मेरे द्वारा व्यय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, आगरा के समक्ष समस्त चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से परीक्षण रिपोर्ट आहूत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा ने 22,84,720/–रूपये व्यय के सापेक्ष परीक्षण उपरांत 14,00,000/–रूपये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की थी। जिसकी स्वीकृति हेतु मेरे द्वारा अपने इलाज पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। मेरे द्वारा प्रेषित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 14,00,000/–रूपये को दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत करते हुए स्वीकृति आदेश की प्रति प्रेषित की गयी है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे इलाज दिनांक 02.05.2016 से 08.06.2016 तक कराये गये चिकित्सा व्यय के परिणाम स्वरूप स्वीकृति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 14,00,000/–रूपये भुगतान कराये जाने के संबंध में उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक 07–11–2019

संलग्नक–स्वीकृति आदेश की प्रति।

भवदीय,

चन्द्रमणि मिश्र
(चन्द्र मणि मिश्र)
7.11.19
अपर जनपद न्यायाधीश चंदौसी,
सम्भल स्थित चंदौसी।

संख्या-1002/दो-4-2019-53(3)/2017

प्रेषक

अरविन्द मोहन चित्रांशी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2019

नियुक्ति अनुभाग-4

विषयः- श्री चन्द्र मणि मिश्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा (तत्कालीन विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा) की चिकित्सा-प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निबन्धक (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-12695/IV-3228/एडमिन ए-1, दिनांक 31.08.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल श्री चन्द्र मणि मिश्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा (तत्कालीन विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा) के इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 02.05.2016 से 08.06.2016 तक करायी गयी चिकित्सा में हुए व्यय रूपये-22,84,720/- के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा परीक्षणोपरान्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गयी धनराशि रूपये-14,00,000/- (रूपये चौदह लाख मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है, यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन करके भुगतान किया जाय। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इसका भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश -49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2)612/दस-2019, दिनांक-25-9-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव।